

No. I-11014/17/2023-IPS.IV

भारत सरकार /Government of India

गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs

Room No. 220, North Block,
New Delhi-110001, Dated the 29th September, 2023

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred under Sub-Rule (2) of Rule 5 of Indian Police Service (Cadre) Rules-1954, and with the concurrence of the Government of Tamil Nadu and UT Division of this Ministry, the Central Government hereby transfers Ms Garima, IPS (TN:2020) from Tamil Nadu cadre to AGMUT cadre on the grounds of her marriage with Shri Pankaj Lamba, IPS (AGMUT:2019).



(Anjan Sarkar)

Under Secretary to the Government of India

Ph. No. 011-2309 4008

To

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road
New Delhi

No. I-11014/17/2023-IPS-IV

Dated the 29th September, 2023

1. The Chief Secretary, Government of Tamil Nadu, Chennai w.r.t their letter No. 5249444/Police.1/2023-2 dated 19.09.2023. It is requested that Ms Garima, IPS (TN:2020) may be relieved from Tamil Nadu Cadre with immediate effect with the direction to report to the AGMUT Cadre. Relieving report of the officer may be forwarded to this Ministry.
2. The Joint Secretary, UT Division, Ministry of Home Affairs w.r.t their O.M. No. 14023/06/2022.UTS-I dated 27.09.2023. The name of Ms Garima, IPS (TN:2020) may be placed in the gradation of AGMUT cadre below all the direct recruit officers of her category borne on that cadre who have the same year of allotment. One spare copy of this notification for the officer is also enclosed.
3. The Director General of Police, Tamil Nadu, Chennai.
4. The Accountant General (A&E), Tamil Nadu, Chennai.
5. The Accountant General (A&E), Central Revenue, AGCR, Building, New Delhi.
6. The Director, SVPNPA, Hyderabad.
7. IPS-I Section/IPS-II Section/ IPS-III Section/PMA Cell/ IPS ACR Cell, MHA, North Block, New Delhi.
8. Director (NIC) with the request to upload this notification in the link- **IPS Cadre Management-Appointment-Inter-cadre transfer.**
9. Guard File/05 Spare copies.



(Anjan Sarkar)

Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक 29 सितम्बर 2023

अधिसूचना

भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियम-1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों एवं तमिलनाडु और इस मंत्रालय के यू टी डिवीज़न की सहमति के साथ, केंद्र सरकार श्रीमती गरिमा, भा०पु०से० (तमिलनाडु:2020) का श्री पंकज लाम्बा, भा०पु०से० (ए.जी.एम्.यु.टी.:2019) के साथ विवाह होने के आधार पर तमिलनाडु संवर्ग से ए.जी.एम्.यु.टी संवर्ग में स्थानांतरण करती है।

अंजंन

(अंजन सरकार)

अवर सचिव, भारत सरकार

फोन - 011-2309 4008

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

मिंटो रोड, नई दिल्ली

सं० I-11014/17/2023 -IPS.IV

दिनांक 29 सितम्बर 2023

1. मुख्य सचिव, तमिलनाडु, चेन्नई को उनके उनके पत्र संख्या 5249444/Police.1/2023-2 दिनांक 19.09.2023 के संदर्भ में। यह अनुरोध किया जाता है कि श्रीमती गरिमा, भा०पु०से० (तमिलनाडु:2020) को तमिलनाडु कैडर से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करके इन्हें ए.जी.एम्.यु.टी कैडर को रिपोर्ट करने का अनुदेश दिया जाए। श्रीमती गरिमा, भा०पु०से० (तमिलनाडु:2020) की तमिलनाडु से कार्यमुक्ति की तारीख की सूचना इस मंत्रालय को प्रेषित की जाए।
2. संयुक्त सचिव, यू टी डिवीज़न, गृह मंत्रालय को उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 14023/06/2022.UTS-I दिनांक 27.09.2023 के संदर्भ में। श्रीमती गरिमा, भा०पु०से० (तमिलनाडु:2020) का नाम ए.जी.एम्.यु.टी कैडर के पदक्रम सूची में उनकी श्रेणी के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों, जिनकी सेवा का आवंटन वर्ष वही है, के नीचे रखा जाए। अधिकारी के लिए इस अधिसूचना की एक अतिरिक्त प्रति भी संलग्न है।
3. पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु, चेन्नई ।
4. लेखाकार जनरल (ए और ई), तमिलनाडु, चेन्नई ।
5. लेखाकार जनरल (ए और ई), केंद्रीय राजस्व AGCR बिल्डिंग, नई दिल्ली ।
6. निदेशक, एसवीपी नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद ।
7. आईपीएस-1 अनुभाग/ आईपीएस-2 अनुभाग/ आईपीएस-3 अनुभाग/पीएमए सेल/, आईपीएस ACR Cell, MHA नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एन आई सी)।
9. गार्ड फ़ाइल /05 अतिरिक्त प्रतियां ।

अंजंन

(अंजन सरकार)

अवर सचिव, भारत सरकार